



Govt. Doon Medical College, Dehradun
Office of the Principal

Phone no.0135-2726020, Fax no. 0135-2726020, 2726021, Email id: doonmedicalcollege@gmail.com
Website- www.gdmouk.com Dehrakhas, Patel Nagar, Dehradun-248001



पत्रांक:-रा०दू०मे०का०/यू०जी० अनुभाग/प्रवेश/का०आ०/2023/...3706

दिनांक: 10th जुलाई, 2023

—: कार्यालय आदेश :-

राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून में MBBS-NEET(UG)-2023 के माध्यम से शैक्षिक सत्र 2023-24 के एम०बी०बी०एस० पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्राओं के लिए शासनादेश संख्या-1076/XXVIII(5)/2021-77/2013 दिनांक: 11 दिसम्बर, 2021 एवं शासनादेश संख्या-1145/XXVIII(1)2013-U.O-03/2008 दिनांक 23 मई, 2013 में विहित शेष शर्तों को यथावत् रखते हुए नॉन बॉन्डेड छात्र-छात्राओं हेतु निम्नानुसार शुल्कों का निर्धारण किया गया है।

नॉन बॉन्डेड (NON BONDED):

क्रम संख्या	शुल्क का नाम	प्रस्तावित शुल्क ₹० में
1	शिक्षण शुल्क	1,45,000/- (प्रतिवर्ष लिया जाने वाला शुल्क)
2	छात्रावास शुल्क	6,000/- (प्रतिवर्ष लिया जाने वाला शुल्क)
3	क्रीडा शुल्क	5,000/- (एक बार, केवल प्रवेश के समय)
4	विकास शुल्क	5,000/- (प्रतिवर्ष लिया जाने वाला शुल्क)
5	धरोहर शुल्क	10,000/- (एक बार, केवल प्रवेश के समय)
6	प्रवेश शुल्क	500/- (एक बार, केवल प्रवेश के समय)
	कुल योग	1,71, 500/- (प्रतिवर्ष लिया जाने वाला शुल्क)

- NEET UG-2023 काउन्सिलिंगके माध्यम से प्रवेशित छात्र-छात्राओं द्वारा नियमानुसार कॉलेज छोड़े जाने की दशा में हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय/चिकित्सा शिक्षा निदेशालय/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमानुसार कटौती कर शेष धनराशि सम्बन्धित छात्र-छात्रा के खाते में वापस की जायेगी।
- विद्यार्थियों द्वारा कुल शुल्क की धनराशि का ड्रॉपट प्राचार्य, राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून के नाम किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत किया हुआ ही अनुमन्य होगा, यदि उत्तराखण्ड शासन/विश्वविद्यालय द्वारा शुल्क में कोई परिवर्तन होता है तो वह देय होगा एवं शुल्क का अन्तिम निर्धारण शासनादेशों के अनुपालन में मान्य होगा।
- एच०एन०बी० उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून द्वारा समय-समय पर प्रोफेशनल परीक्षाएँ आयोजित करायी जाती है एवं प्रोफेशनल परीक्षा हेतु अतिरिक्त परीक्षा शुल्क छात्रों द्वारा देय होगा।
- कॉलेज छात्रावास (पुरुष/महिला) में मैस की व्यवस्था है जिस हेतु संस्थान द्वारा निर्धारित मैस शुल्क देना होगा। कॉलेज छात्रावास (पुरुष/महिला) में रहने वाले सभी छात्र-छात्राओं को वार्षिक छात्रावास शुल्क के साथ वार्षिक मैस शुल्क देना भी अनिवार्य है। वर्ष के अन्त में मैस बिल का समायोजन मैस कमेटी के द्वारा किया जायेगा।

(संलग्न यथोपरी)।

प्राचार्य
राजकीय दून मेडिकल कॉलेज
Dehrakhas, Patel Nagar, Dehradun
DEHRADUN
तददिनांक।

पत्रांक-रा०दू०मे०का०/यू०जी०अनुभाग/अकादमिक/का०आ०/2023/.....
प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, 107 चन्द्रनगर, देहरादून।
2. कुलसचिव, एच०एन०बी०यू०एम०यू०, देहरादून।
3. परीक्षा नियंत्रक, एच०एन०बी०यू०एम०यू०, देहरादून।